न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 22/2023

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. तेजाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति घांची निवासी— सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः— 29.1.2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की खरीदसुदा, कब्जासुदा, मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 1802 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म चा0प्र0 की स्थित है। उक्त कृषि भूमि ख0नं0 1802 के रिवाईज्ड सेटलमेंट के गत खसरा संख्या 231/12 एवं खसरा संख्या 234/14 से बना है। गत खसरा संख्या 231/12 रकबा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या 234/14 रकबा 2 बिघा 4 बिस्वा में से 1 बिघा 5 बिस्वा कृषि भूमि को मांगीलाल, मिसरीलाल, खरतीया पिसरान सुगाल जी से जरिये रजिस्ट्री विक्रय विलेख के दिनांक 28.06.1968 को खरीद की गई है। जिसमें प्रार्थी का खरीददार के रूप से तेजाराम वल्द मिसरीया गोदी पुत्र गोरा जी का रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 719 से प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 में सही नाम तेजाराम पुत्र मिसरीया दर्ज किया गया है। दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा मिलान में गत खसरा से नये खसरा में दर्ज करते समय तेजाराम पुत्र मिसरिया गोद पुत्र गोरा दर्ज करने के स्थान पर तेजाराम पुत्र मिसरिया के साथ ही गोदा पुत्र गोरा दर्ज सहवन से एवं भूलवश कर दिया गया तथा इसके आधार पर ही राजस्व रेकर्ड में गोदा वल्द गोरा, तेजाराम वल्द मिसरीया के नाम से लगातार दर्ज चला आ रहा है, जबकि मिसरिया प्रार्थी के पिता है तथा प्रार्थी के पिता मिश्रीलाल गोराराम गोद गये हुए थे। जिस वजह से मिसरीया गोद गोरा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन सहवन से गोदा वल्द गोरा हो जाने से उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चला आ रहा है। जो गलत नाम चला आ रहा है। गोदा वल्द गोरा के नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खरीदसुदा है। जिसकी बेचान रजिस्ट्री में प्रार्थी का नाम खरीददार के रूप में तेजाराम वल्द मिसरीया गोद पुत्र गोरा के रूप में दर्ज है। जिससे यह भी स्पष्ट है कि मिसरीया, गोरा के गोद पुत्र थे। लेकिन राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा मिलान में गोदा वल्द गोरा एवं तेजाराम वल्द मिसरीया दर्ज कर देने से उक्त अनुसार ही राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज चला

उप खण्ड अधिकारी

आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड में हुई गोदा वल्द गोरा के इन्द्राज को हटाया जाना कानूनन् आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी दिनांक 28.12.2019 को ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से लेने से जानकारी में आया कि उक्त राजस्व रेकर्ड में गोदा वल्द गोरा का नाम भी प्रार्थी के साथ ही दर्ज किया हुआ है। लेकिन प्रार्थी पुनः मैसुर चला जाने के कारण तथा उसके बाद कोरोना काल होने की वजह से प्रार्थी पुनः नहीं आ सका तथा अब राजस्व रेकर्ड के खसरा मिलान एवं पुरानी जमाबंदी जिला कलेक्टर कार्यालय रेकर्ड शाखा से दिनांक 21.12.2022 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई कि सेटलमेंट के दौरान सहवन से राजस्व रेकर्ड में गोदा वल्द गोरा दर्ज किया हुआ है। इसलिए उक्त गलत इन्द्राज गोदा वल्द गोरा हटाया जाकर तथा तेजाराम पुत्र मिसरीलाल को यथावत रखने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है।

इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गोदा वल्द गोरा हटाया जाकर तथा तेजाराम पुत्र मिसरीलाल को यथावत रखकर शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने दिनांक 29.03.2023 को जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 03 को प्रार्थी स्वयं साबित करना तथा पैरा संख्या 04 से 07 को कानूनी बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की खरीदसुदा, कब्जासुदा, मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 1802 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म चा0प्र0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज गोदा वल्द गोरा हटाया जाकर तथा तेजाराम पुत्र मिसरीलाल को यथावत रखकर दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2070–73, 2022–25, 2030–33, फोटो प्रति बेचान रजिस्ट्री, प्रमाणित प्रति खसरा मिलान वर्तमान खसरा सं0 1802 पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा बेचान रजिस्ट्री के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 719 से प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 में सही नाम तेजाराम पुत्र मिसरीया दर्ज किया गया है। दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा मिलान में गत खसरा से नये खसरा में दर्ज करते समय तेजाराम पुत्र मिसरिया गोद पुत्र गोरा दर्ज करने के स्थान पर तेजाराम पुत्र मिसरिया के साथ ही गोदा पुत्र गोरा दर्ज सहवन से एवं भूलवश कर दिया जाना स्पष्ट होता है लिहाजा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की खरीदसुदा कब्जासुदा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 1802 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म चा0प्र0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज गोदा वल्द गोरा हटाया जाने तथा तेजाराम पुत्र मिसरीलाल को यथावत रखकर दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की खरीदसुदा, कब्जासुदा, मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 1802 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म चा0प्र0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज गोदा वल्द गोरा के स्थान पर दुरूस्त रूप से तेजाराम पुत्र मिसरीलाल को यथावत रख दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 29.3.2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.